संख्या- 118 /2023/ नौ-5-2023 /001-111Budget-2015

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 14 सितंबर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत जनपद-आगरा के धनौली ड्रेनेज के निर्माण हेतु आठवीं/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (नि0-03), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-771/जीएम(एन-03)/नौ-1/26, दिनांक 14-06-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत जनपद-आगरा के धनौली ड्रेनेज के निर्माण कार्य की निर्धारित लागत रू० 3148.43 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-281/2015/2257/नौ-5-15-111बजट/15, दिनांक 12-08-2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू० 500.00 लाख, शासनादेश संख्या-216/2016/2058/नौ-5-16-111बजट/15, दिनांक 22-07-2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 500.00 लाख, शासनादेश संख्या-15/2017/4304/नौ-5-16-111बजट/15, दिनांक 03-01-2017 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 500.00 लाख, शासनादेश संख्या-11/2018/5455/नौ-5-17-111बजट/15, दिनांक 17-01-2018 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 500.00 लाख, शासनादेश संख्या-75/2021/12314/नौ-5-21-111बजट/2015, दिनांक 12-08-2021 द्वारा पंचवी किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 200.00 लाख, शासनादेश संख्या-225/2021/12314/नौ-5-21-111बजट/2015, दिनांक 27-12-2021 द्वारा छठवीं किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 200.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-23/2022/1721/नौ-5-2022-111बजट/2015, दिनांक 14.05.2023 द्वारा सातवीं किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 591.00 अर्थात कुल धनराशि रू० 2991.00 लाख का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत आठवीं/अंतिम किश्त के रूप में **रू० 157.43 लाख (एक करोड़ सत्तावन लाख तैंतालीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का कोई अंश पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था। कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
(13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध, कराया जायेगा।
(14) गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मानकानुसार कार्य कराने का उत्तरदायित्व उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के संबंधित अधिकारियों की होगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ /लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,57,43,000 (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख तैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
14.09.2023.

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 118 /2023/नौ-5-2023 /001-111Budget-2015, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, आगरा।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालाय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0 प्रयागराज।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
11- निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
14.09.2023.

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-14/09/2023

प्रेषण संख्या:- 118
आवंटन आदेश संख्या:- 001-118-2023-9-5-2023-001-111B-2015
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	15743000 357256000	15743000 357256000
	योग	वर्तमान प्रगामी	15743000 357256000	15743000 357256000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सत्तावन लाख तियालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पैंतीस करोड़ बहत्तर लाख छप्पन हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव